

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) संख्या-3662

थाना मामला संख्या-10 वर्ष-2018 थाना- एनसीबी (सरकारी आधिकारिक) जिला-पूर्वी चंपारण से
उत्पन्न

=====

1. लीलम देवी सिंह उर्फ लीलम देवी, पत्नी-अजय सिंह, निवासी: गाँव-मनरकट्टी, वार्ड नं 6, पी. एस. जनकपुर, जिला-महत्तरी (नेपाल)
2. लक्ष्मी देवी, पत्नी- घनश्याम सर्राफ उर्फ रवि सर्राफ, निवासी: गाँव-गीता मंदिर रोड, वार्ड नं 08, पृ.-बीरगंज, जिला-बारा, नेपाल

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

निदेशक, एन. सी. बी., पटना बिहार के माध्यम से भारत संघ.

...उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री मुकेश्वर दयाल, ए.पी.पी
यू.ओ.आई./एन.सी.बी. के लिए	:	श्री अवधेश के. पांडे, सीनियर सी.जी.सी.
	:	श्री अरविंद कुमार, सी.जी.सी
	:	श्री अभिषेक कुमार, सी.जी.सी

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 20(बी) (ii) (सी), 23 (सी), 50, 52
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का स्थायी अनुदेश "सं. 1, 1988" दिनांक 15.03.1988

संदर्भित मामले:

- मीना पुन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2023) एससीसी ऑनलाइन 1079] में रिपोर्ट किया गया

अपील - उस निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जिसमें निचली अदालत ने दोनों अपीलकर्ताओं को मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (**NDPS Act**) की धारा 20(b)(ii)(c) और 23(c) के तहत दोषी ठहराया था।

निर्णय -

- महिला अपीलकर्ताओं की तलाशी बरामदगी स्थल पर नहीं ली गई और जब्त पैकेटों पर अपीलकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान भी नहीं लिए गए। (पैराग्राफ 29)
- बरामदगी स्थल पर कोई तलाशी नहीं ली गई। (पैराग्राफ 30)
- पूरी तलाशी प्रक्रिया के स्वतंत्र गवाहों को मुकदमे के दौरान नहीं बुलाया गया, जिससे बरामद मादक पदार्थ की तलाशी और सीलिंग पर संदेह उत्पन्न होता है। (पैराग्राफ 30)
- जब्त किए गए नमूनों के नमूना संग्रह (**Sampling**), सीलिंग और प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। (पैराग्राफ 33)
- **NDPS** अधिनियम के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों (**Sampling, Seizure and Sealing - SSS**) का अभियोजन पक्ष द्वारा पालन नहीं किया गया।
- अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत तलाशी (**Personal Search**) भी कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं ली गई और बरामद मादक पदार्थ की सील भी अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई।
- तलाशी, सीलिंग और नमूना लेने की प्रक्रिया को लेकर अभियोजन पक्ष कई सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, जिसका लाभ अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। (पैराग्राफ 34)

अपील स्वीकार की जाती है। (पैराग्राफ 35)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख:24-01-2025

यह अपील अपीलार्थियों/दोषियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत एन. डी. पी. एस. मामला संख्या 2018 (एन. सी. बी./पी. जेड. यू./वी./10/2018 से उत्पन्न) में एन. डी. पी. एस. अधिनियम, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के तहत विद्वान विशेष अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए की गई है, जिसके तहत संबंधित निचली अदालत ने उपरोक्त दोनों नामित अपीलार्थियों को धारा 2018 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। पदार्थ अधिनियम (संक्षेप में 'एनडीपीएस') के तहत दोनों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास और 1,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और उन्हें दस साल के लिए कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 1,00,000-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए और दस साल के लिए कठोर कारावास और रु। 1,00,000-एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 23 (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए। जुर्माने का भुगतान न करने पर, दोनों अपीलार्थियों को छह महीने के लिए और साधारण कारावास से गुजरना पड़ता है। उपरोक्त सभी वाक्यों को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

2. संक्षिप्त में अभियोजन का मामला जैसा कि शिकायत याचिका के माध्यम से दिखाई देता है, यह है कि दिनांक 26.02.2018 को लगभग 15:30 घंटे द्वितीय कमांडेंट श्री सुरेंद्र विक्रम (पीडब्लू -3), बटालियन मुख्यालय में तैनात गुलजार हुसैन (जांच नहीं की गई) और जयंत पांडे (जांच नहीं की गई) से जानकारी मिली कि दो महिलाएं कुछ नशीले पदार्थों के साथ बेतिया के लिए रवाना हो गई हैं और पीडब्लू-3 को उनकी उपस्थिति और रूप के बारे में भी समझाया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, द्वितीय कमांडेंट/पीडब्लू-3 के आदेश के तहत एक क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया दल) का गठन किया गया था, जिसमें टीम

कमांडर सहित छह लोग शामिल थे। क्यूआर टीम मुख्यालय से 16:00 बजे निकली तथा 18:00 बजे बेतिया बस स्टैंड पहुंची, तत्पश्चात विभिन्न स्थानों पर टीम को तैनात किया गया। कुछ समय बाद दो महिलाओं को एक रिक्शा पर आते हुए पाया गया, जिन्हें महिला टीम के सदस्यों ने रुकने के लिए कहा। आवाज सुनकर दोनों महिलाएं रिक्शा से नीचे आईं और भागने लगीं, जहां उनका पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और टीम की महिला सदस्यों द्वारा सतही रूप से तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उनकी कमर में कुछ लपेटा हुआ दिखाई दिया। टीम की महिला सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि यह एक मादक पदार्थ है। उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत उपलब्ध उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया, जिसके बाद दोनों महिलाएं उनकी तलाशी के लिए सहमत हो गईं। उसके बाद दोनों महिलाओं को महिला सिपाहियों द्वारा 47 वीं एसएसबी बटालियन के कार्यालय में लाया गया और महिला कमांडर/एसआई द्वारा उनकी तलाशी ली गई। महिला कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से तलाशी लेने पर, दोनों महिलाओं की कमर के चारों ओर सफेद कपड़े में लिपटे पीले रंग के प्लास्टिक से ढके 16 आयताकार सपाट सामान पाए गए। जब दवा का पता लगाने वाली किट से वस्तु की जांच की गई, तो यह पुष्टि हुई कि यह चरस (चरस) है और उसी के वजन पर, यह कुल 7.8 किलोग्राम पाया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम लीलम देवी (अपीलार्थी नं.1) और लक्ष्मी देवी (अपीलार्थी सं. 2)। दो स्वतंत्र गवाहों मनोज कुमार और पिंदू कुमार के सामने उपरोक्त बरामद प्रतिबंधित पदार्थ का एक जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था।

3. उपरोक्त आधिकारिक शिकायत के आधार पर, पुलिस ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 23 (सी) और 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2018 का एन. डी. पी. एस. मामला संख्या 13 दिनांक 27.02.2018 के रूप में मामला दर्ज किया, जहां जांच के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. विद्वत सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, जो जाँच के दौरान एकत्र किए गए अभिलेख और सामग्रियों के अवलोकन के बाद मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है, ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (2) (सी), 23 (सी) और 29 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और इस मामले को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश 7 वें-सह-विशेष न्यायाधीश, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के न्यायालय में मुकदमे और निपटारे के लिए स्थानांतरित कर दिया।

5. विद्वत निचली अदालत ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर पटना उच्च न्यायालय सी. आर. दोनों के खिलाफ आरोप तय किए। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 23 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 18.12.2018 पर अपीलकर्ता/दोषी, जिसे उन्होंने "दोषी नहीं" बताया और मुकदमे का दावा किया।

6. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल दस गवाहों से पूछताछ की है। वे इस प्रकार हैं:-

अभियोजन गवाह	नाम
पी. डब्ल्यू. 1	शांति एस., सिपाही
पी. डब्ल्यू. 2	निधि, उप-निरीक्षक
पी. डब्ल्यू. 3	सुरेंद्र विक्रम, द्वितीय कमान अधिकारी
पी. डब्ल्यू. 4	अंजुम आरा, महिला सिपाही
पी. डब्ल्यू. 5	संजीव कुमार सिंह, खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी., पटना
पी. डब्ल्यू. 6	सुभाष चंद मंडल, सहायक उप-निरीक्षक
पी. डब्ल्यू. 7	विकास कुमार, खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी., पटना
पी. डब्ल्यू. 8	के. वी. रॉबिन्सन गैंगटे, एन. सी. बी. के अधीक्षक, पटना
पी. डब्ल्यू. 9	मनोज कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सह गोडम सहायक
पी. डब्ल्यू. 10	राजन कुमार, गोदाम अधीक्षक। एन. सी. बी., पटना

7. मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रदर्शनों पर भी भरोसा किया है:

प्रदर्शनी संख्या (ओं)।	दस्तावेजों की सूची
प्रदर्शनी-1	एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत खोज के लिए सूचना (आपत्ति के साथ)

प्रदर्शनी-2	गिरफ्तार की गई दो महिलाओं का चिकित्सकीय परीक्षण।
प्रदर्शनी-2/1	आरोपी लक्ष्मी देवी की जामा तलाशी
प्रदर्शनी-2/2	आरोपी लीलाम देवी सिंह की जामा तलाशी
प्रदर्शनी-2/3 से प्रदर्शनी-2/7 तक	उप निरीक्षक सुश्री निधि के हस्ताक्षर पंचनामा सह खोज सह जब्ती सूची पर
प्रदर्शनी-2/8 और -2/9 को प्रदर्शित	दोनों महिला अभियुक्तों के गिरफ्तारी ज्ञापन पर उप निरीक्षक सुश्री निधि के हस्ताक्षर- करें।
प्रदर्श-3 और प्रदर्श- 3/1	एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दोनों महिला अभियुक्तों के बयान पर सिपाही अंजुम आरा के हस्ताक्षर
प्रदर्शनी-4 से प्रदर्शनी- 4/4 तक	पंचनामा सह तलाशी सह जब्ती सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सिपाही अंजुम आरा के हस्ताक्षर।
प्रदर्श-4/5 से प्रदर्श- 4/9	पंचनामा सह तलाशी सह जब्ती सूची पर ए. एस. आई. जी. डी. सुभाष चंद्र मंडल के हस्ताक्षर-
प्रदर्श-4/10 से प्रदर्श- 4/14	प्रत्येक पृष्ठ की पंचनामा सह खोज सह जब्ती सूची पर विकास कुमार के हस्ताक्षर
प्रदर्शनी-5	सूचना अनुप्रयोग

प्रदर्शनी-6	संजीव के. आर. द्वारा तैयार की गई जब्ती सूची। सिंह, एन. सी. बी., पटना के खुफिया अधिकारी हैं।
प्रदर्शनी-7 और प्रदर्शनी-7/1 एस. के. सिंह के हस्ताक्षर,	खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी. पटना एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस की कार्बन कॉपी पर और महिला आरोपी लीलम देवी सिंह और लक्ष्मी देवी दोनों को दिया।
प्रदर्शनी-8	महिला आरोपी लीलाम देवी सिंह का स्व-बयान और उन्होंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।
प्रदर्शनी-9	महिला का स्व-कथन
	आरोपी लक्ष्मी देवी
प्रदर्शनी-10 और प्रदर्शनी-10/1 एस. के. सिंह के हस्ताक्षर,	खुफिया अधिकारी, एन. सी. बी. पटना एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत नोटिस की कार्बन कॉपी पर
प्रदर्शनी-11	पिंदू कुमार, स्व-बयान पर स्वतंत्र गवाह और एस. के. सिंह, खुफिया अधिकारी एन. सी. बी. पटना के हस्ताक्षर
प्रदर्शनी-12 और प्रदर्शनी-12/1 की कार्बन प्रति का हस्ताक्षर	महिला आरोपी लक्ष्मी देवी और लीलाम देवी सिंह दोनों द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापन
प्रदर्शनी-13	आरोपी लक्ष्मी देवी की जामा तलाशी
प्रदर्शनी-13/1	आरोपी लीलाम देवी सिंह की जामा तलाशी
प्रदर्शनी-14	गोदाम/मलखाना से नमूने लेने के बाद

	शेष चरस की रसीद और चरस जैसे 25 ग्राम पदार्थ का डुप्लिकेट नमूना।
प्रदर्शनी-15	एन. डी. पी. एस. अधिनियम सेक. का अनुपालन आवेदन। 57 जिस पर अपराध सं. 10/2018 का उल्लेख है।
प्रदर्शनी-16	दो परीक्षण ज्ञापन की रसीद जिस पर प्रयोगशाला सं. 3063/एस. जेड. डी. (एन)-1268 दिनांकित 06.03.2018 अपराध सं. एन. सी. बी./पी. जेड. यू./वी./10/2018 का उल्लेख है।
प्रदर्शनी-16/1	टेस्ट मेमो की अग्रेषित प्रति
प्रदर्शनी-17	आधिकारिक शिकायत और दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के लिए प्रार्थना है कि वे अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों का संज्ञान लें और अभियुक्त व्यक्तियों को कानून के अनुसार और जब्त किए गए चरस को जब्त करने के संबंध में दंडित करें।
प्रदर्शनी-18	सुभाष चंद मंडल, 47 वीं BN.S.S.B , पैंटोका रक्सौल द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, एन. सी. बी., पटना को जब्त करने के लिए पत्र भेजना।
	पदार्थ अर्थात् 7.8। चरस और दोनों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए।
प्रदर्शनी-18/(ए)	एन. डी. पी. एस. की धारा 52 ए के तहत प्रमाण पत्र

प्रदर्शनी-19	एन. डी. पी. एस. मामला सं. 13/2018 (एन. सी. बी. सी. आर.) के संबंध में जब्त की गई निषिद्ध वस्तुओं की तस्वीर जिसमें प्रमाणन की तारीख का उल्लेख किया गया है। नं. 30.08.2018 पर 10/2018)।
प्रदर्शनी-20	जब्त किए गए पदार्थ के विनाश का प्रमाणन और टी. एन. सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, एन. सी. बी. पटना और संतोष के. आर. के हस्ताक्षर। उप निदेशक (प्रभारी) डी. आर. आई. पटना, सदस्य-1 डी. डी. सी. और एस. के. झा, आई. आर. एस. सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, पटना सदस्य-2 डी. डी. सी. के हस्ताक्षर।
प्रदर्शनी-21	गोदाम रजिस्टर की प्रतिस्थापित प्रतिलिपि प्रविष्टि जो यदि गोदाम प्रविष्टि पृष्ठ सं। 079 और क्र. नं. 77

8. मुकदमे के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर, विद्वत निचली अदालत ने संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों की जांच की है, जहां उन्होंने मुकदमे के दौरान सामने आए आपत्तिजनक सबूतों को नकारकर अपनी संलिप्तता से पूरी तरह से इनकार किया और कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था और उन्होंने अपनी पूरी बेगुनाही का दावा किया।

9. न तो किसी गवाह की जांच की गई और न ही किसी गवाह की। अपीलकर्ताओं/दोषियों द्वारा अपने बचाव में मुकदमे के दौरान कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

10. मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्य और पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विद्वत निचली अदालत ने दोनों अपीलार्थियों/दोषियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और 23 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें ऊपर बताए गए तरीके से सजा सुनाई है।

11. दोषसिद्धि और सजा के आदेश के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी/दोषी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

12. इसलिए, वर्तमान अपील।

अपीलार्थी/दोषी की ओर से तर्क:

13. अपीलार्थियों/दोषियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में तलाशी, नमूना और जब्ती (एसएसएस) के संबंध में अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में व्यक्तिगत खोज भी नहीं की गई थी। जब्त मादक पदार्थ को मुकदमे के दौरान अदालत में पेश नहीं किया गया था। यह भी बताया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 के तहत जारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार के स्थायी निर्देश संख्या 1/1988 का भी वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया प्रतीत होता है।

14. तर्क को समाप्त करते हुए यह बताया गया है कि दोनों स्वतंत्र जब्ती सूची के गवाह मनोज कुमार और पिंदू कुमार मुकदमे के दौरान जांच करने में विफल रहे जिससे पूरे अभियोजन पक्ष को संदेह हुआ। इस संदर्भ में विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान निचली अदालत ने दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करते समय प्रमुख विरोधाभासों की अनदेखी की, जैसा कि मुकदमे के दौरान सामने आया था। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत व्यक्तिगत खोज के समर्थन में विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय **मीना पुन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के माध्यम से, [(2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1079] में रिपोर्ट किया गया मामले पर भरोसा किया, जो उपलब्ध है।

राज्य की ओर से तर्क:

15. एन. सी. बी. की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि मामूली विरोधाभास सामने आते हैं और आगे वे ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जिसके आधार पर पूरे दोषसिद्धि के निर्णय के अभियोजन को दूषित कहा जाए। यह प्रस्तुत किया

जाता है कि जब्त मादक पदार्थ को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसे कानून के अनुसार नष्ट कर दिया गया था, जो पी. डब्ल्यू. 8,9 और 10 द्वारा विधिवत समर्थित है और इसलिए दोषसिद्धि के फैसले में इस आधार पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

16. मैंने निचली अदालत के अभिलेखों को ध्यान से देखा है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखा है और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है जैसा कि पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रचार किया गया है।

17. साक्ष्यों की पुनः सराहना करने के लिए, वर्तमान अपील का निपटारा करते समय, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैं:-

18. पी.डब्ल्यू.-1 शांति एस., जो त्वरित प्रतिक्रिया दल के सदस्यों में से एक हैं (इसके बाद 'रेडिंग टीम' के रूप में संदर्भित)। उसने अपदस्थ किया कि यह घटना 26.02.2018 की है और उस दिन उसे 47 वीं बटालियन पैंटोका शिविर में सिपाही के रूप में तैनात किया गया था, जहाँ 3: 30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी: प्रधानमंत्री ने कहा कि दो महिलाएं नेपाल से प्रतिबंधित पदार्थ के साथ भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जिसके बाद पी. डब्ल्यू. 4 अंजुम आरा कांस्टेबल, पी. डब्ल्यू. 6 सुभाष चंद मंडल, बबलू कुमार, राणा कुमार और पवन कुमार के साथ छापेमारी दल का गठन किया गया था। इसके बाद वे सभी लगभग 4 बजे बेतिया के लिए रवाना हुए पीएम। वे लगभग 6 बजे बेतिया बस स्टैंड पहुँचे पीएम, जहाँ आधे घंटे के बाद उन्होंने पाया कि दो महिलाएं एक साथ आ रही थीं। एसआई सुभाष चंद मंडल ने उन्हें और अंजुम आरा (पीडब्लू 4) को उक्त महिलाओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए कहा लेकिन वे रिक्शा से उतरने के बाद भागने लगे। कुछ समय तक पीछा करने के बाद दोनों को पकड़ लिया गया और बेतिया बस स्टैंड के पास लाया गया, जहाँ पूछताछ के बाद उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने की बात स्वीकार की। घटना से बाहर, भीड़ वहाँ जमा हो गई जहाँ से कमांडर ने दो स्वतंत्र गवाहों पिंदू कुमार और मनोज कुमार को बुलाया और उसके बाद वे पूरी टीम के साथ शिविर में लौट आए। यह पदच्युत किया गया कि शिविर में लौटने के बाद निधि (पीडब्लू 2) ने दोनों गिरफ्तार महिलाओं को उनके सामने या किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने अपनी खोज करने के लिए कहा, जिस पर दोनों महिलाओं ने उनके द्वारा खोज करने के लिए अपनी सहमति दी। तलाशी लेने पर उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ के कुल 16 पैकेट मिले, जो एक पीले रंग के पॉलिथीन में लिपटे हुए

थे, जिसे आगे सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। प्रारंभिक परीक्षण में यह "चरस" पाया गया। जिसका वजन कुल 7.8 किलोग्राम पाया गया। आगे की कार्रवाई कमांडर सुभाष चंद मंडल ने की। उसने मुकदमे के दौरान दोनों अपीलार्थियों की पहचान की और कहा कि उनसे "चरस" बरामद किया गया था।

18.1.जिरह पर, उसने कहा कि "चरस" उसके द्वारा जब्त नहीं किया गया था। उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि शिविर में तलाशी ली गई थी। उसने पूरी घटना के दौरान कहीं भी अपने हस्ताक्षर नहीं किए। यह कहा गया कि प्रत्येक महिला से प्रतिबंधित पदार्थों के 8 (आठ) पैकेट बरामद किए गए। वह अलग-अलग पैकेटों के वजन का खुलासा करने में विफल रही। यह कहा गया था कि पूरा दस्तावेज कार्यालय सहायक राणा कुमार द्वारा तैयार किया गया था। महिलाओं (अपीलार्थियों) को एक दिन के लिए शिविर में रखा गया था।

19. पी. डब्ल्यू. 2 निधि भी रेडिंग टीम के सदस्यों में से एक थी। उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस अपीलार्थियों को दिया गया था और यह कार्यालय सहायक राणा कुमार के लिखित में था, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी थे, जिसे उनकी पहचान पर आपत्ति के साथ **प्रदर्शनी संख्या 1** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह अपदस्थ कर दिया गया कि अपीलार्थियों की तलाशी पर छापा मारने वाली महिला सदस्यों द्वारा की गई थी। जहां तलाशी के दौरान प्रत्येक महिला की कमर में बंधे 8 (आठ) पैकेट प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए, जिन्हें सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। इसका वजन किया गया और डिटेक्शन किट द्वारा प्रारंभिक परीक्षण भी किया गया, जिस पर यह चरस के रूप में पाया गया, जिसके बाद मामले की सूचना एन. सी. बी. को दी गई, जो अगले दिन आई, उसके बाद पूरी कार्यवाही की गई। यह पता चला कि जब्त किए गए पैकेट चरस के थे जिनका कुल वजन लगभग 7.8 किलोग्राम था। उन्होंने व्यक्तिगत खोज और जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर क्रमशः **प्रदर्शनी संख्या 2/3 से 2/7** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब्ती सूची में दो स्वतंत्र गवाहों पिंदू कुमार और मनोज कुमार के भी हस्ताक्षर हैं। उन्होंने दोनों अपीलार्थियों के गिरफ्तारी ज्ञापन पर भी अपने हस्ताक्षर किए, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 2/8 और 2/9** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने मुकदमे के दौरान अपीलार्थियों की पहचान की।

19.1.जिरह पर, उसने कहा कि घटना की तारीख पर वह एस. आई. रैंक की अधिकारी थी। उसने जब्त किए गए 16 पैकेटों पर मुहर नहीं लगाई। जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान के पैकेटों पर अपीलकर्ताओं का नाम या उनके हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान भी नहीं लिया गया। यह कहा गया था कि उस दिन राजपत्रित अधिकारी उनके शिविर में तैनात थे, जो सुरेंद्र विक्रम (पीडब्लू-3) था। जब्त किए गए पैकेट पी. डब्ल्यू. 6 को सौंप दिए और उसके बाद, उसे कहाँ रखा गया था, यह उसकी जानकारी में नहीं था। वह उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करने में विफल रही जिसने डिटेक्शन किट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ का परीक्षण किया था, लेकिन कहा कि परीक्षण सुभाष चंद मंडल (पीडब्लू 6) के निर्देश पर किया गया था।

20. पी डब्लू 3 सुरेंद्र विक्रम है, जो आबकारी अधिकारी प्रतीत होता है और उसकी गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे एसआई सुभाष चंद मंडल ने बताया था कि तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं से कुल 7.8 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। उन्होंने अपनी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपीलार्थियों की तलाशी के समय मौजूद नहीं थे। यह कहा गया था कि खोज निधि (पीडब्लू 2) और अंजुम आरा (पीडब्लू 4) द्वारा की गई थी, और उन्हें इन दो गवाहों से ही बरामदगी के बारे में पता चला था।

21. पी. डब्ल्यू. 4 अंजुम आरा हैं, जिन्होंने सुनाया उसी तरीके से वसूली की घटना का बयान दिया जिस तरह से इसे पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 द्वारा अपदस्थ किया गया था। यह उनके द्वारा अपदस्थ किया गया था कि तलाशी के दौरान निषिद्ध पदार्थों के सोलह पैकेट बरामद किए गए थे, जो भूरे रंग के कागज में लपेटा गया था जो आगे सफेद कपड़े के नीचे ढके हुए पाए गए। उन्होंने अपीलार्थी लक्ष्मी देवी का बयान दर्ज किया जो पाँच पृष्ठों में चलता है और सभी पाँच पृष्ठों पर उनके अंगूठे का निशान भी प्राप्त किया। उन्होंने इन पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर और एन. सी. बी. अधिकारी के हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 3 और 3/1** के रूप में प्रदर्शित किए गए थे। उन्होंने पाँच पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 4 से 4/4** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष दोनों अपीलार्थियों लक्ष्मी देवी और लीलम देवी की पहचान की और कहा कि उनके कब्जे से केवल चरस बरामद किया गया था।

21.1.जिरह के बाद, उसके द्वारा यह कहा गया कि उसने बरामदगी के स्थान पर किसी भी अपीलार्थी/आरोपी की तलाशी नहीं ली। यह कहा गया था कि खोज पैंटोका शिविर में की

गई थी। यह कहा गया था कि तलाशी के दौरान पीडब्लू 2 और पीडब्लू 1 उसके साथ मौजूद थे। यह भी कहा गया कि कुल 16 पैकेट बरामद किए गए जिन्हें सफेद कपड़े में लपेटा गया था। उन्होंने अलग-अलग पैकेट पर यह उल्लेख नहीं किया कि यह किस महिला से बरामद किया गया था। यह भी कहा गया था कि बरामद किए गए पैकेटों को संख्या नहीं दी गई थी। यहां तक कि अपीलार्थियों के हस्ताक्षर या उनके अंगूठे के निशान भी पैकेट पर प्राप्त नहीं किए गए थे। उसे सफेद कपड़े की जब्ती के बारे में पता नहीं था। यह कहा गया था कि जब्ती शिविर में की गई थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि पी. डब्ल्यू. 2 को घटना की तारीख पर महिला राजपत्रित अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। यह कहा गया था कि दोनों महिलाओं का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें लीलाम देवी का बयान स्वयं दर्ज किया गया था, जबकि लक्ष्मी देवी का बयान उनके द्वारा दर्ज किया गया था। यह कहा गया था कि जब्त की गई सामग्री को जब्त करने के तुरंत बाद पीडब्लू 2 को सौंप दिया गया था। वह अपनी स्मृति से वह भी इकट्ठा करने में विफल रही जो अपीलकर्ताओं को उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

22. पीडब्लू 5 संजीव कुमार सिंह हैं, जिन्हें 26.02.2018 को लगभग 7 बजे एसएसबी पैंटोका से जानकारी प्राप्त हुई कि दो अपीलार्थियों को 7.8 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। कथित जानकारी को उनके द्वारा लिखित रूप में कम कर दिया गया था और क्षेत्रीय निदेशक, एन. सी. बी. पटना के साथ साझा किया गया था, जिन्होंने छापा मारने वाली टीम को मंजूरी दी थी। उन्होंने उपरोक्त अनुमोदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 5** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 27.02.2018 को लगभग 2:00 बजे वे छापेमारी दल के साथ पहुंचे। वह पैंटोका के लिए आगे बढ़े और 8 बजे वहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने एसआई सुभाष चंद मंडल (पीडब्लू 6) से मुलाकात की। यह कहा गया था कि 16 आयताकार पैकेट थे और प्रत्येक पैकेट से कुछ मात्रा निकाली गई थी और डिटेक्शन किट द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसका परीक्षण करने पर कुल 7.8 किलोग्राम वजन "चरस" पाया गया था। प्रत्येक पैकेट से नमूना लिया गया और यह 25 ग्राम था, जिसे बाद में दो भागों में विभाजित किया गया और "एस 1" और "एस 2" के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद, सफेद कपड़े से ढके प्लास्टिक के थैले में डालने के बाद बाकी प्रतिबंधित पदार्थ जिस पर विभागीय मुहर "ओपी" लगाई गई थी। जब्ती के बाद दो स्वतंत्र गवाहों पिंदू कुमार और मनोज कुमार, महिला कांस्टेबल अंजुम आरा (पीडब्लू 4) और पीडब्लू 6 के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। उन्होंने मुकदमे के दौरान जब्ती सूची की पहचान की,

जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 6** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत 27.02.2018 पर नोटिस भी जारी किया, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 7 और 7/1** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 27-28.02.2018 को अभियुक्त लीलम देवी का बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 को देखते हुए दर्ज किया गया था, जबकि लक्ष्मी देवी का बयान महिला सिपाही, पीडब्लू 4 अंजुम आरा ने उसके सामने दर्ज किया, जहाँ उसने मामले में अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उन्होंने मुकदमे के दौरान उक्त बयानों की पहचान की, जो उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 9** के रूप में प्रदर्शित किए गए थे। यह अपदस्थ कर दिया गया कि दोनों अपीलार्थियों को उनके द्वारा दिनांक 28.02.2018 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी ज्ञापन पर महिला एस. आई. पी. डब्ल्यू. 2 निधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 12 और 12/1** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 28.02.2018 को अदालत के निर्देश के अनुसार "S2" नमूना और प्रतिबंधित "P" को उनके हस्ताक्षर के तहत एन. सी. बी. मलखाना को भेजा गया था, जिसे उन्होंने मुकदमे के दौरान पहचाना था, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 14** के रूप में प्रदर्शित किया गया था और "S1" नमूना को फॉरेंसिक जांच के लिए कलकत्ता भेजा गया था, जिसने प्रयोगशाला परीक्षण पर जब्त सामग्री के नमूने को चरस के रूप में पुष्टि की। कलकत्ता की एफएसएल रिपोर्ट को **प्रदर्शनी संख्या 16 और 16/1** के रूप में प्रदर्शित किया गया।

22.1. जिरह करने पर, उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने आधिकारिक शिकायत में उल्लेख नहीं किया कि क्या अपीलार्थियों की तलाशी लेने से पहले एसएसबी की महिला कांस्टेबल की तलाशी ली गई थी। उन्होंने पीडब्लू 2 निधि का कोई बयान दर्ज नहीं किया। बताया गया कि एसआई सुभाष चंद मंडल (पी.डब्ल्यू. 6) द्वारा उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ सौंपा गया था। उन्होंने शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलकर्ताओं के शरीर के किस अंग से उक्त प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। प्रतिबंधित पदार्थ को 28.02.2018 पर अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जबकि 27.02.2018 पर इसे उसे सौंप दिया गया था, जहां न तो कोई मुहर, न ही पैकेट पर कोई अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर पाए गए थे। यह कहा गया था कि अपीलार्थियों का बयान उनकी हिरासत के सात घंटे बाद दर्ज किया गया था। उन्होंने खुलासा किया कि **प्रदर्शनी संख्या 13** पर आरोपी का नाम लक्ष्मी देवी के रूप में दिखाया गया है, जबकि **प्रदर्शनी संख्या 13/1** पर लीलम देवी का नाम दिखाया गया है, जिसे कार्बन कॉपी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया गया था। उन्होंने अपनी आधिकारिक शिकायत

में यह उल्लेख नहीं किया कि दोनों अपीलार्थियों को किस समय एसएसबी की महिला कांस्टेबलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यह कहा गया था कि उसने आज अदालत के समक्ष प्रतिबंधित पदार्थ पेश नहीं किया।

23. पी.डब्ल्यू. 6 सुभाष चंद मंडल है, जिसे 26.02.2018 को लगभग 3:30 बजे अपीलकर्ताओं की आवाजाही के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद उसने पी.डब्ल्यू. 1 और पी.डब्ल्यू. 2 के बयानों में पहले से चर्चा के अनुसार छापेमारी दल का गठन किया और उसके बाद दोनों अपीलकर्ताओं को पकड़ लिया गया, जिनसे 7.8 किलोग्राम चरस बरामद की गई। यह अपदस्थ कर दिया गया कि अपीलार्थियों को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया गया था और उसके बाद पी. डब्ल्यू. 2 निधि ने अपीलार्थी महिलाओं की तलाशी ली। उनकी दो अलग-अलग कमरों में तलाशी ली गई। दो महिला सिपाहियों, पीडब्लू 1 शांति एस और पीडब्लू 4 अंजुम आरा ने दोनों अपीलार्थियों की तलाशी ली और उन्होंने प्रत्येक अपीलार्थियों से कुल 16 पैकेट बरामद किए, जो पीले रंग के प्लास्टिक में लिपटे हुए थे। इसके बाद पी. डब्ल्यू. 2 निधि द्वारा मादक पदार्थ किट द्वारा इसका परीक्षण किया गया, जहां यह पुष्टि की गई कि जब्त की गई सामग्री चरस थी, जिसका वजन 7.8 किलोग्राम था, जिसके बाद उन्होंने एन. सी. बी. टीम को घटना की सूचना दी। उन्होंने उक्त पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसकी पहचान करने पर **प्रदर्श संख्या 18** के रूप में प्रदर्शित किया गया।

23.1. जिरह पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सामने खोज नहीं की गई थी। उन्होंने उन सामग्रियों को जब्त कर लिया जो उन्हें महिला कांस्टेबल शांति एस. (पीडब्लू -1) और अंजुम आरा (पीडब्लू-4)। शांति एस. या लीलम देवी का नाम किसी भी पैकेट पर नहीं लिखा गया था, जो कथित तौर पर बरामद किया गया था। यह कहा गया कि नारकोटिक किट द्वारा परीक्षण पी.डब्ल्यू. 3 अर्थात् सुरेन्द्र विक्रम द्वारा किया गया था। इन पैकेटों को स्वतंत्र रूप से तौला नहीं गया था। यह कहा गया था कि एन. सी. बी. द्वारा 27.02.2018 पर आगे की प्रक्रियात्मक कार्य किया गया था।

24. पी. डब्ल्यू. 7 बिकाश कुमार हैं, जिन्होंने 26.02.2018 की घटना और दोनों अपीलकर्ताओं से पीले पॉलीथीन में लिपटे और फिर सफेद कपड़े में लिपटे 16 पैकेट बरामद होने का समर्थन किया, जो चरस जैसे लग रहे थे, जिसके बाद इसे ड्रग डिटेक्शन किट के माध्यम से जांचा गया और चरस होने की पुष्टि हुई। वजन करने पर यह लगभग 7.8

किलोग्राम पाया गया। उन्होंने 25 ग्राम के दो नमूने तैयार करने में भी मदद की और उसके बाद बाकी प्रतिबंधित पदार्थों को विभागीय मुहर के तहत गोदाम में रखा गया। यह कहा गया कि संपूर्ण सीलिंग कार्य 27.02.2018 को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच पूरा हो गया था।

24.1. जिरह के बाद, यह कहा गया कि एसएसबी, पैंटोका में तैनात एसआई, पीडब्लू 6 सुभाष चंद मंडल द्वारा उनके सामने प्रतिबंधित पदार्थ पेश किया गया था। यह कहा गया था कि जब तलाशी ली गई थी तब वह मौजूद नहीं थे और यह भी खुलासा करने में विफल रहे कि क्या जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को अदालत के समक्ष पेश किया गया था। यह कहा गया कि वह यह नहीं बता सकते कि जब जब्त प्रतिबंधित पदार्थ को उनके समक्ष पेश किया गया तो उसे सील किया गया था या नहीं। वह अपने बयान की तिथि पर जब्त प्रतिबंधित पदार्थ को अदालत के समक्ष पेश करने में विफल रहे।

25. पी.डब्लू. 8 के.वी. रॉबिन्सन गंगटे हैं, उन्होंने भी प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी का समर्थन किया। वे एनसीबी, पटना के अधीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। वह 28.02.2018 की शाम को अपने और टीम के सदस्यों के साथ पटना कार्यालय में प्रतिबंधित पदार्थ लाया और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को एन. सी. बी., पटना के मलखाना के पास जमा किया। उन्होंने मुकदमे के दौरान गोदाम की रसीद पेश की और उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 14** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 57 की अनुपालन रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 15** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। मुकदमे के दौरान विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट और श्री प्रकाश राम आई. ओ. के हस्ताक्षर वाले प्रमाण पत्र को भी उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था क्योंकि उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की थी, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 18** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने जब्त की गई वस्तुओं की तस्वीरों की भी पहचान की, जिन्हें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने तस्वीरों पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने तस्वीरों पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे उनकी पहचान करने पर **प्रदर्श संख्या 19** के रूप में प्रदर्शित किया गया।

25.1. जिरह के दौरान उन्होंने अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाने से इनकार किया

26. पीडब्लू 9 मनोज कुमार यादव हैं, जिन्होंने गवाही दी की जब्त किए गए चरस को नियम के अनुसार नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने अदालत के समक्ष विनाश सूची प्रस्तुत की, जिस पर पीडब्लू 8 और क्षेत्रीय निदेशक टी. एन. सिंह, संतोष सिंह, उप निदेशक डी. आर. आई. और एस. के. झा अतिरिक्त आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 20** के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

26.1 जिरह करने पर उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी कागजात उनके समक्ष हस्ताक्षरित थे। उन्होंने झूठे आरोप लगाने के सुझाव से इनकार किया।

27. पी.डब्लू. 10 राजन कुमार हैं, जो गोदाम प्रभारी हैं और गोदाम रजिस्टर लेकर आए, जहां वर्तमान मामले की बरामदगी का उल्लेख पृष्ठ संख्या 079 पर गोदाम प्रविष्टि संख्या 77 के रूप में किया गया है। उन्होंने मुकदमे के दौरान रजिस्टर में अपने लेखन की पहचान की, जिसे उनकी पहचान पर **प्रदर्शनी संख्या 21** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को नियम के अनुसार पहले ही नष्ट कर दिया गया था। जिरह करने पर उसने बताया कि वह नष्ट किए जाने के समय मौजूद नहीं था।

28. विद्वान वकील ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया प्रतीत होता है। तथ्य की बेहतर समझ के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

50. वे शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। -(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी माँग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) कोई भी महिला नहीं होगी। महिला को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तलाशी नहीं ली जा सकती।

[(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज के साथ अलग होने की संभावना के बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है।

(6) उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी और बयालीस घंटे के भीतर इसकी एक प्रति अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को भेजेगा।

चर्चा और निष्कर्ष

29. अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पी. डब्ल्यू. 1,2,3 और 4, जो छापा मारने वाली टीम के सदस्य हैं, के बयान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अपीलार्थी, जो महिलाएँ हैं, को बेतिया बस स्टैंड के पास कहीं प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा गया था, जब पुलिस कर्मियों को देखकर वे भागने लगीं, जिन्होंने पीछा करते हुए उन्हें रुकने को कहा। दोनों अपीलार्थियों को पहले बस स्टैंड पर लाया गया, उसके बाद पैंटोका शिविर में लाया गया। मान लीजिए कि बरामदगी के स्थान पर कोई तलाशी और जब्ती नहीं की गई थी। हालाँकि उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस अपीलार्थियों को दिया गया था, लेकिन इसका अनुपालन संदिग्ध

प्रतीत होता है। पी. डब्ल्यू. 3, जो राजपत्रित अधिकारी थे, के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जब पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा दोनों अपीलार्थियों की तलाशी ली गई थी, तब वह मौजूद नहीं थे। जबकि पी. डब्ल्यू. 2 निधि एस. आई. ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने जब्त किए गए पैकेटों पर कोई मुहर नहीं लगाई, अपीलार्थियों के नाम का भी वहां उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उक्त दिन उनके शिविर पी. डब्ल्यू. 3 में सुरेंद्र विक्रम को राजपत्रित अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उसकी गवाही से यह पता चलता है कि जब्त किए गए पैकेट पी. डब्ल्यू. 6 को बिना किसी मुहर और निशान के सौंप दिए गए थे, और यह भी उसकी जानकारी में नहीं था कि इसके बाद इसे कहाँ रखा गया था। इसी तरह, पीडब्लू 4 ने बयान दिया कि उसने किसी भी महिला अपीलार्थी की बरामदगी के स्थान पर तलाशी नहीं ली और न ही जब्त किए गए पैकेटों पर अपीलार्थियों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया गया था।

30. इन दोनों गवाहों के बयानों ने जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की तलाशी और निशानदेही के परिदृश्य को और स्पष्ट कर दिया, जहां स्वीकार किया जाता है कि बरामदगी के स्थान पर कोई तलाशी नहीं ली गई थी। इस संबंध में, पीडब्लू 5 की गवाही का उल्लेख करना उचित होगा, जो बताता है कि पूरी जब्ती 9 से शुरू होकर 27.02.2018 पर की गई थी:00 एएम जो 3 से समाप्त हुआ:00 पीएम। उनके जाँच प्रमुख से यह पता चलता है कि पूरी खोज उनके और उनकी टीम द्वारा की गई थी जो पटना से आई थी, लेकिन उनकी प्रतिपरीक्षा में, ऐसा प्रतीत होता है कि एसएसबी के पीडब्लू 6 एसआई द्वारा उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ सौंपा गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ को विभागीय मुहर से सील कर दिया गया था, लेकिन कहा कि अदालत के समक्ष मुहर पेश नहीं की गई थी। इसके अलावा मुकदमे के दौरान पिंटू कुमार और मनोज कुमार जैसे पूरी खोज के स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई, जिससे बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की खोज और सील करना संदिग्ध हो जाता है।

31. छापा मारने वाली टीम में शामिल पी.डब्ल्यू. 1, पी.डब्ल्यू. 2 और पी.डब्ल्यू. 4 की गवाही से सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू यह सामने आया कि पी.डब्ल्यू. 1 ने कहा कि प्रतिबंधित माल पीले रंग के प्लास्टिक बैग में लपेटा हुआ था और सफेद कपड़े से ढका हुआ था, पी.डब्ल्यू. 2 ने सिर्फ सफेद कपड़े के बारे में गवाही दी, जबकि पीडब्लू 4 ने गवाही दी कि प्रतिबंधित भूरे रंग के कागज के अंदर था और सफेद कपड़े से ढका हुआ था। हालाँकि सफेद कपड़ा, जिसे जब्त नहीं किया गया था, इन तीनों गवाहों की गवाही से सामान्य प्रतीत

होता है, जो छापा मारने वाले दल का हिस्सा थे, लेकिन पहले प्रतिबंधित सामग्री को ढकने वाले थे, पूरी तरह से अलग दिखाई देता है क्योंकि पी. डब्ल्यू. 1 ने इसे पीले पॉलीथीन के रूप में प्रकट किया, जबकि पी. डब्ल्यू. 2 चुप रहा, जबकि पी. डब्ल्यू. 4 ने खुलासा किया और गवाही दी कि भूरा कागज उसके चेहरे पर पूरी वसूली को संदिग्ध बनाता है।

32. उपरोक्त संदर्भ में **मीना पुन केस (उपरोक्त)** के पैरा संख्या 24 और 29 को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

8. *विजयसिंह जडेजा बनाम गुजरात राज्य* 1 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का उल्लंघन किया गया था। अपने निर्णय के पैराग्राफ 24 और 29 में संविधान पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“24. यद्यपि संविधान पीठ ने बलदेव सिंह मामले में [(1999) 6 एससीसी 172: 1999 एससीसी (क्रि) 1080] इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 निर्देशिका है या अनिवार्य, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) को उसके अधिकार के अस्तित्व के बारे में "सूचित" करे कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी; संदिग्ध को उसके उक्त अधिकार के अस्तित्व के बारे में "सूचित" करने में विफलता उसके लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी, और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्र के समक्ष उसकी तलाशी लेने में विफलता उसके लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी। सेवानिवृत्त अधिकारी या मजिस्ट्रेट मुकदमे को दूषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अवैध वस्तु की संदिग्ध बरामदगी को दूषित कर सकते हैं और एक आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर सकते हैं, जहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान व्यक्ति से बरामद अवैध

वस्तु के कब्जे के आधार पर ही दोषसिद्धि दर्ज की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि यह आवश्यक नहीं था कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में या लिखित रूप में होनी चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य था कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाए, यदि वह ऐसा चाहता है। हम सम्मानपूर्वक इन निष्कर्षों से सहमत हैं। प्रावधान की कोई भी अन्य व्याख्या संदिग्ध को दिए गए मूल्यवान अधिकार को भ्रम और प्रहसन बना देगी।

25.....

26.....

27.....

28.....

29. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि जिस उद्देश्य के साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत अधिकार, सुरक्षा के रूप में, संदिग्ध को प्रदान किया गया है, अर्थात् शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचने के लिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के उसके अधिकार से अवगत कराए। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जहां तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी के दायित्व का संबंध है, यह अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। प्रावधान का पालन न करने पर संदिग्ध से अवैध वस्तु की बरामदगी हो जाएगी और यदि उसे केवल ऐसी तलाशी के दौरान आरोपी के व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर दर्ज किया जाता है, तो दोषसिद्धि को अमान्य

कर दिया जाएगा। ऐसी तलाशी के दौरान अभियुक्त के व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर ही दर्ज किया जाता है। इसके बाद, संदिग्ध उक्त प्रावधान के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है या नहीं भी। .

33. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में जब्त किए गए नमूने के नमूने लेने, सील करने और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने वाले अधिनियम की धारा 52 के तहत जारी मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार के 1988 के स्थायी निर्देश "संख्या 1" का पालन नहीं किया गया था। इस तथ्य के लिए प्रासंगिक 1988 के स्थायी निर्देश संख्या 1 के खंड 1.4, 1.5, 1.6 और 1.9 को संदर्भ के लिए नीचे पढ़ा जा सकता है:

“1.4 यदि जब्त किए गए मादक पदार्थ पैकेजों/पात्रों में पाए जाते हैं, तो पहचान के उद्देश्यों के लिए उन्हें क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। यदि दवाएं ढीले रूप में पाई जाती हैं, तो उन्हें एक समान आकार के इकाई पात्रों में पैक करने की व्यवस्था की जानी चाहिए और प्रत्येक पैकेज/पात्र को क्रम संख्या दी जानी चाहिए। सीरियल नंबरों के अलावा, दवा का सकल और शुद्ध वजन, विवरण और जब्ती की तारीख पैकेजों पर अनिवार्य रूप से दर्शाई जानी चाहिए। यदि पैकेज पर उपरोक्त जानकारी दर्ज करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, तो जब्त करने वाले अधिकारी की मुहर के साथ एक कार्ड बोर्ड लेबल लगाया जाना चाहिए और इस कार्ड बोर्ड लेबल पर उपरोक्त विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।

1.5 नमूना निकालने का स्थान और समय

जब्त नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से नमूने बरामद होने के स्थान पर, डुप्लिकेट में, खोज (पंच) गवाहों और उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए जिसके कब्जे से दवा बरामद की गई है, और इस प्रभाव का उल्लेख हमेशा मौके पर तैयार किए गए पंचनामा में किया जाना चाहिए।

1.6 नमूने में आवश्यक विभिन्न दवाओं की मात्रा

अफीम, गांजा और चरस/हशीश के मामलों को छोड़कर, जहां रासायनिक परीक्षण के लिए प्रत्येक मामले में 24 ग्राम की मात्रा की आवश्यकता होती है, रासायनिक परीक्षण के लिए प्रत्येक नमूने में ली जाने वाली मात्रा सभी मादक दवाओं और मादक पदार्थों के संबंध में 5 ग्राम होनी चाहिए। समान मात्रा डुप्लिकेट नमूने के लिए भी ली जानी चाहिए। पैकेज/कंटेनरों में जब्त की गई दवाओं को डुप्लिकेट में नमूना लेने से पहले अच्छी तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि यह सजातीय और प्रतिनिधि बन जाए।

1.9 इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि सभी नमूनों को खींचा और सील किया जाना चाहिए; अभियुक्त, पंचनामा गवाहों और जब्त करने वाले अधिकारी और उन सभी की उपस्थिति में प्रत्येक नमूने पर अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। जब्त करने वाले अधिकारी की आधिकारिक मुहर भी लगाई जानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति, जिसकी हिरासत से दवाएं बरामद की गई हैं, नमूने पर अपनी खुद की मुहर लगाना चाहता है, तो प्रत्येक नमूने के मूल और डुप्लिकेट दोनों पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। .

34. इसलिए, इस मामले में उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं की चर्चा से, यह प्रतीत होता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में अभियोजन द्वारा नमूना, जब्ती और सीलिंग (एस. एस. एस.) के संबंध में अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों की व्यक्तिगत तलाशी भी तय किए गए कानून के अनुसार नहीं की गई थी और निषिद्ध पदार्थ की मुहर भी मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई थी। तलाशी, सीलिंग और सैंपलिंग के लिए कई सवाल हैं जो अभियोजन पक्ष द्वारा अनुत्तरित प्रतीत होते हैं, जिनका लाभ अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

35. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

36. 2018 के एन. डी. पी. एस. मामला संख्या 13 (एन. सी. बी./पी. जेड. यू./वी./10/2018 से उत्पन्न) में एन. डी. पी. एस. अधिनियम, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के तहत विद्वान विशेष अदालत संख्या 11 द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय दिनांक

01.03.2024 और सजा का आदेश दिनांक 07.03.2024, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। उपरोक्त दोनों नामित अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

37. चूंकि अपीलार्थी इस मामले के संबंध में हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। जुर्माना, यदि अपीलार्थियों द्वारा कोई जमा किया गया है, तो उन्हें अब से वापस कर दिया जाए।

38. कार्यालय को इस फैसले की एक प्रति के साथ निचली अदालत के रिकॉर्ड को विद्वत निचली अदालत को तुरंत वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।